राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प्रेषित :–
1– समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान ।
2– समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
3– निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

क्रमांकः प–5 (21) राज–4/80/ राज–6/18 जयपुर/ दिनांक 16.11.1996

– : परिपत्र : –

विषय :– नामान्तरकरण खुलवाने के संबंध में ग्राम पंचायतों की शक्तियॉ ।

राजकीय अधिसूचना क्रमांकः प–5 (21) राज–4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के प्रदत्त उत्तराधिकार एवं हस्तान्तरण के अविवादित मामलों के नामान्तरकरणों को विनिश्चित करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई है और यह प्रावधान किया गया हे कि यदि ग्राम पंचायत उनका निपटारा 45 दिन में नहीं करती है तो ये शक्तियॉ तहसीलदार को हस्तान्तरित हो जाती है और ऐसे नामान्तरकरणों को तहसीलदार द्वारा 30 दिन में निर्णित कर देना चाहिए । यह भी व्यवस्था की गई है कि इस हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को तहसीलदार अपने यहां रजिस्टर में दर्ज कर उन्हे संबंधित ग्राम पंचायत को अग्रेषित करेगा एवं ऐसे प्रार्थना–पत्र सीधे ही ग्राम पंचायत को भी प्रस्तुत किये जा सकते है । दोनों ही मामलों में ग्राम पंचायत को प्राप्त होने की तारीख से ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में निपटाने के अधिकार हैं ।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद भी यह देखने में आ रहा है कि उत्तराधिकार के नामान्तरकरण काफी लम्बे समय तक खोले नहीं जाते है एवं तस्दीक नहीं किये जाते हैं जिसके कारण भू–अभिलेख आदिनांक नहीं हो पाते है और कई तरह की समस्याएं पैदा होती है । अतः यह निर्देश दिये जाते है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तराधिकार का नामान्तरकरण खुलवाना चाहे, वह पटवारी से सम्पर्क करने के अतिरिक्त सीधे ग्राम पंचायत में नामान्तरण खुलवाने और तस्दीक करवाने के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता है और चूंकि नामान्तरकरण खुलवाने एवं तस्दीक करवाने के बारे में ग्राम पंचायत को पहले ही तहसीलदार जैसी शक्तियॉ दी हुई है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी को नामान्तरकरण खोलने के लिए आदेश देने पर पटवारी के लिए जांच पडताल कर विरासत का नामान्तरकरण एक माह में खोलना अनिवार्य होगा । ग्राम पंचायत ऐसी एक फाईल संधारित करेगी जिसमें पटवारी को दिये आदेश की एक प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखेगी । यदि पटवारी एक माह में भी नामान्तरकरण नहीं खोलता है तो सरपंच ग्राम पंचायत पटवारी के विरूद्ध संबंधित उपखण्ड अधिकारी को लिखित शिकायत भेजेगी जिसे उपखण्ड अधिकारी अलग रजिस्टर में दर्ज कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

इस संबंध में आप अपने स्तर पर यह निर्देश पत्र जारी करने की व्यवस्था करें कि पटवारी विरासत के नामान्तरकरण के मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोलने के लिए दिये आदेश की तारीख से एक माह के भीतर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही पूर्ण कर ले ।

ह0

(के. पी. सिंघल)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग ।
2– निदेशक, जन सम्पर्क विभाग को उनके व्यापक, प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रेषित है ।

ह0
शासन उप सचिव,